**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**आर्थिक कार्य विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2091**

**(जिसका उत्तर मंगलवार, 01 जनवरी, 2019/11पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है।)**

**स्टार्ट-अप्सकाप्रभावीकार्यान्वयन**

**2091. श्रीमतीतोटासीतारामलक्ष्मीः**

**श्रीप्रभाकररेड्डीवेमिरेड्डीः**

क्या**वित्तमंत्री**यहबतानेकीकृपाकरेंगेकिः

(क)स्टार्ट-अपनीतिकीघोषणाकरनेकेबादसेकितनेस्टार्ट-अपशुरूहुएहैंऔरकितनेरोजगारकेअवसरोंकासृजनहुआहै;

(ख)क्यायहसचहैकिआईबीएमद्वाराकिएगएउद्यमीभारतनामकअध्ययनकेअनुसार, लगभगदो-तिहाईस्टार्ट-अपअनैतिकव्यापारकररहेहैंऔरयहस्टार्ट-अपकीविफलताकेप्रमुखकारणोंमेंसेएकहै;

(ग)यदिहां, तोमंत्रालयइसप्रवृत्तिकोकिसतरहसेदेखताहैऔरयदियहजारीरहतीहैतोइसकेक्यापरिणामहोंगे;

(घ)उपरोक्तकेमद्देनजर, क्यामंत्रालयस्टार्ट-अप्सकेऔरप्रभावीकार्यान्वयनकेलिएकोईनियामक ढाँचा तैयार करने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**वित्त राज्य मंत्री (श्री पोन्. राधाकृष्णन्)**

(क):तारीख 16.01.2016 को स्टार्ट-अप इंडिया कार्य योजना की शुरूआत होने के बाद 12.12.2018 की स्थिति के अनुसार 10,517 स्टार्ट-अप को मान्यता प्रदान की गई है। इन स्टार्ट-अप्स में से, 9,475 स्टार्ट-अप्स ने 78,479 लोगों को रोजगार मिलने की सूचना दी है। रोजगार अवसरों के सृजन से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ख) से (ङ):आईबीएम द्वारा की गई उद्यमी भारत संबंधी रिपोर्ट भारत सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, अतः कोई टिप्पणी नहीं की जाती है।

\*\*\*\*\*